राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :–एफ.2(1956)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/ I/45370/2016 जयपुर, दिनांक : 09/02/2016

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री प्रहलाद सिंह राठौड़ , सूचना सहायक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, आबूरोड़ को **Vardhman Mahaveer Open University Kota** से **B.Ed P.G Diploma in Cyber law** की पत्राचार की परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति **श्री प्रहलाद सिंह राठौड़** को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष मे उतीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस मे उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष मे कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूंचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर–मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नही मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वयंपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों–द्वितीय/तृतीय की परीक्षा के लिए पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

Sd

(ए.एम. देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. जिला परिवहन अधिकारी, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, आबूरोड ।
2. श्री प्रहलाद सिंह राठौड, सूचना सहायक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, आबूरोड ।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

DoIT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी.भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः–प.2(2485)डी.ओ.आईटी. / संस्था / 14 / I/45371/2016 जयपुर, दिनांक 09/02/2016

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री विकास कुमार अग्रावत, सूचना सहायक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किरडोली, सीकर को जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर से पत्राचार के माध्यम से एम.सी.ए. की परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नही है।

उक्त पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति श्री विकास कुमार अग्रावत, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती हैः–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृती दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार / विभाग किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नही किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर – मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृती नहीं मानी जावेगी।
11. पत्राचार / स्वंयपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों की परीक्षा के लिये पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नही है।

(आशुतोष एम. देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–
1. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किरडोली, सीकर।
2. श्री विकास कुमार अग्रावत सूचना सहायक कार्यालय राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किरडोली, कूदन सीकर।
3. प्रभारी अधिकारी (वेबसाईट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
4. निजी / रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :– :–एफ.2(2302) डी.ओ.आई. टी./संस्था /14/ I/45274/2016

जयपुर, दिनांक : 08/02/2016

अनापत्ति प्रमाण पत्र

रौजी चौहान, सूचना सहायक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, श्री गंगानगर को Jaipur National University Jaipur से MCA की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति रौजी चौहान, को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष मे उतीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस मे उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष मे कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर–मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वंयपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षो की परीक्षा के लिये पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नही है।

sd/-
(ए.एम देशपाण्डे)
तकनिकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. जिला परिवहन अधिकारी, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, श्री गंगानगर।
2. रौजी चौहान, सूचना सहायक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, श्री गंगानगर।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।

तकनिकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः–एफ.2(5483)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/I/45420/2016 जयपुर दिनांक 09/02/2016

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्रीमति कुमारी कविता सूचना सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मांढ़ण, अलवर (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) को **वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा** से **BAP** की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति **सुश्री कुमारी कविता** को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती हैः–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष मे उतीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस मे उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष मे कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर–मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वयंपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों–द्वितीय/तृतीय की परीक्षा के लिए पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

sd/-

(ए.एम. देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कार्यालय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मांढ़ण, अलवर।

2 सुश्री कुमारी कविता, सूचना सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मांढ़ण, अलवर (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)।

3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

4. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन : 0141–22224855, 2222439, फैक्स : 0141–2223010, वैबसाईट – www.doitc.rajasthan.gov.in

DoIT

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः–एफ.2(3425)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/अ/45192/2016 जयपुर दिनांक 05/02/2016

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री कीर्ति डांग सूचना सहायक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घड़साना, श्रीगंगानगर को **वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा** से **M.SC Previous** की पत्राचार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति **सुश्री कीर्ति डांग** को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती हैः–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष मे उतीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस मे उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष मे कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर–मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वयंपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों–द्वितीय/तृतीय की परीक्षा के लिए पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

sd

(ए.एम. देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घड़साना, श्रीगंगानगर।
2 सुश्री कीर्ति डांग, सूचना सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घड़साना, श्रीगंगानगर।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव